न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 212/2019

1. रामजीलाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी पाली तहसील महवा ।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.10.2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा तहसील महवा अंतर्गत मुकदमा नंबर 134/2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामजीलाल अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1.श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

दिनांकः 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा ने 22.10.2019 को अपीलांट को संवत 2076 फसल रबी में ग्राम पाली तहसील महवा के आराजी खसरा नम्बर 116 के रकबा 0.32 है0 किस्म चरागाह पर जोत लगाकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार के जुर्म के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जो स्वयं अपीलांट द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट स्वयं न्यायालय में नियत तारीख पेशी को उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस पर स्वंय अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 116 रकबा 0.32 है0 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं कब्जा नहीं होने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्मी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्मण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा